न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री मोहनलाल खटनावलिया, आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या : 72/2018

वादी

1. उमेश राणा पुत्र चौधरी मुल्तानसिंह राणा उम्र 43 वर्ष जाति जाट निवासी तहसील बजघेडा, जिला गुड्गांव (हरियाणा)

बनाम

प्रतिवादीगण

1. रामप्रकाश पुत्र श्री लिकमाराम
2. बाबुलाल पुत्र श्री बक्साराम जातियान जाट निवासीगण लुणियास तहसील मेड़ता जिला नागौर
3. अनोपसिंह पुत्र श्री जैतदान
4. प्रहलादसिंह पुत्र श्री सावलसिंह जातियान चारण
5. माधाराम पुत्र श्री बोदाराम जाति जाट
6. ओमप्रकाश पुत्र श्री शिवदयाल
7. गोविन्दराम पुत्र श्री शिवदयाल
8. लक्ष्मीनारायण पुत्र श्री शिवदयाल
9. नन्दकिशोर पुत्र श्री शिवदयाल
10. जगदीश प्रसाद पुत्र श्री शिवदयाल जातियान ब्राहम्ण
11. घनश्याम पुत्र श्री तुलछाराम जातियान ब्राहम्ण
12. बाबुसिंह पुत्र श्री धर्मसिंह जाति रावणा राजपूत सभी निवासीगण खराडी तहसील जैतारण
13. नैना पुत्र श्री मुल्तान
14. भोलाराम पुत्र श्री हरीशचन्द्र
15. स्वरूप पुत्र घासूजी
16. मांगीलाल पुत्र श्री कानाराम
17. रामपाल पुत्र श्री कानाराम
18. रमेशचन्द्र पुत्र श्री बद्रीलाल
19. केवल पुत्र श्री प्यारा
20. अमरसिंह पुत्र श्री जोरा
21. चन्द्रा पुत्र श्री घासू
22. ढगलाराम पुत्र श्री बोदाराम
23. पारसराम पुत्र श्री बोदाराम
24. रेवतराम पुत्र श्री बोदाराम
25. गुटकी पत्नि श्री रमजीलाल
26. भंवरलाल पुत्र श्री घासी
27. जसाराम पुत्र श्री घासी
28. ढगलाराम पुत्र श्री घासी
29. हीरालाल पुत्र श्री घासी
30. दीपकचंद पुत्र श्री घासी

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

31. बाबुलाल पुत्र श्री घासी
32. मोहन पुत्र श्री मिसरू
33. रखा पुत्र श्री मिसरू
34. बाला पुत्र श्री मिसरू
35. हापू पुत्र श्री मिसरू
36. हंसराज पुत्र श्री मिसरू
37. भीया पुत्र श्री मिसरू
38. रामलाल पुत्र श्री मिसरू
39. पुसा पुत्र श्री मिसरू
40. सोहन पुत्र श्री मिसरू
41. हंजा बेवा श्री मिसरू सभी
जातियान साद निवासीगण लितरिया
तहसील जैतारण जिला पाली
42. तहसीलदार जी जैतारण
तहसील जैतारण जिला पाली

राजस्व वाद बाबत् बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 **तारीख रजू:.23/03/2018**

उपस्थितः. 1. श्री रामस्वरूप चौधरी, अधिवक्ता वादी।

-:: निर्णय ::- **दिनॉकः- 15/06/2018**

वकील मय वादी ने एक राजस्व वाद बाबत् बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत् विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि राजस्व मौजा- लितरिया पटवार हल्का काणेचा में वादी एवं प्रतिवादीगण की शामलाती कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 240 रकबा 6-12 किस्म चाही दौयम, खसरा नम्बर 240/313 रकबा 10-07 किस्म चाही दोयम, खसरा नम्बर 241/1 रकबा 0-08 किस्म चाही दोयम, खसरा नम्बर 241/314 रकबा 4 बीघा किस्म चाही दोयम, खसरा नम्बर 258/1 रकबा 0-13 किस्म चाही दोयम, खसरा नम्बर 259 रकबा 4-17 किस्म चाही दोयम, खसरा नम्बर 260 रकबा 2-09 किस्म चाही दोयम, खसरा नम्बर 221/5 रकबा 0-15 किस्म चाही दोयम, खसरा नम्बर 241 रकबा 5-07 किस्म चाही दोयम, खसरा नम्बर 242 रकबा 2-05 किस्म चाही दोयम, खसरा नम्बर 257 रकबा 1-11 किस्म चाही दोयम, खसरा नम्बर 258 रकबा 2-03 किस्म चाही दोयम, खसरा नम्बर 259/1 रकबा 3-11 किस्म चाही दोयम, खसरा नम्बर 260/1 रकबा 3-08 किस्म चाही दौयम, खसरा नम्बर 321/241 रकबा 10-06 किस्म चाही दोयम की आई हुई है। उपरोक्त वर्णित खसरा नम्बरान में वादी ने कृषि भूमि खरीद की थी एवं खरीद के बाद वादी ने अपने कब्जे अनुसार मौके पर काबिज होकर बिना किसी रोक टोक के काश्त करते चले आ रहे है। उक्त आराजी लितरिया सरहद में आई हुई है एवं वादी एवं प्रतिवादीगण के मौके पर अपने हक हिस्से पर सभी खातेदारान के समझौता कर मौखिक बंटवाड़ा कर मौके पर कब्जा प्राप्त कर लिया है। तथा उसी माफिक आज दिन तक काबिज है। तथा उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि मे वादी माफिक अपने हिस्से अनुसार काबिज होकर काश्त करता आ रहा है एवं मौके पर अलग से बंटी हुई है एवं माठे कायम है नकल जमाबंदी वाद पत्र के

उपखण्ड अधिकारी जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

साथ पेश है जिसे वादपत्र का एक आवश्यक भाग माना जावे। उपरोक्त वर्णित आराजी वादी एवं प्रतिवादीगण की राजस्व रेकर्ड में शामलाती आराजी है जिसका कानूनन बाई मिट्स बाउण्ड के बंटवाड़ा नही हो रखा है। मौके पर आपसी सहमति से उक्त आराजी का वादी व प्रतिवादीगण ने अपने हिस्से अनुसार उपयोग उपभोग कर रहे है। एवं हिस्से अनुसार वादी काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है एवं वादी ने खरीद के समय से ही प्रतिवादीगण से मौके पर आपसी सहमति से आराजी का बंटवाड़ा कर लिया है परन्तु राजस्व रेकर्ड में उक्त आराजी आज दिन तक शामलाती चली आ रही है। उपरोक्त वर्णित आराजी राजस्व रेकर्ड में शामलाती दर्ज होने एवं उसका कानूनन बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा नही होने से वादी को अनेको प्रकार की कटिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है जिसमें वादी अपने आराजी में कुआ खुदवाना, बैंक ऋण लेने आराजी को भूमि उपजाऊ बनाने चारों तरफ चारबंदी करने से परेशानियां का सामना करना पड रहा है इसलिए इन परेशानियों से बचने के लिए कानूनन बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस यह वादपत्र पेश है उपरोक्त वर्णित आराजी में वादी माफिक अपने हिस्से अनुसार उक्त भूमि में मौके पर काबिज होकर काश्त कर रहा है। परन्तु प्रतिवादीगण वादी को मौके से बेदखल कर वादी की बेसकिमती आराजी को हडप करना चाहते है। तथा आये दिन उसके कब्जे करने पर उतारू है एवं प्रतिवादीगण उक्त आराजी में दखलअंदाजी करते रहे है तथा प्रतिवादीगण वादी को ऐलानिया धमकी देते है कि उसको मौके से बेदखल कर सम्पूर्ण आराजी पर अकेले ही कब्जाकर लेगे यदि प्रतिवादीगण इन नापाक इरादों में कामयाब हो जाते है। एवं वादी को मौके से बेदखल कर देते हैं तो वादी को अपूर्णीय क्षति होगी एवं अपने जायज हक अधिकारों से महरुम होना पडेगा इसलिए वादी के पास अन्य कोई विकल्प शेष नही होने से यह वाद पत्र बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा का पेश है। दिनांक 20.02.2018 को प्रतिवादीगण ने मौके बेदखल करने की धमकी दी वादी ने प्रतिवादीगण को कहा कि आपसी रजामंदी से मौके पर बंटवाड़ा कर राजस्व रेकर्ड में बंटवाड़ा करा लेवे परन्तु प्रतिवादीगण इन्कार हो गये तथा प्रतिवादीगण ने कहा कि वे उसे बेदखल कर उक्त आराजी पर अपना हक अधिकार जमा लेगें। यदि प्रतिवादीगण अपने गैरकानूनी कार्य में कामयाब हो जाते है तो वादी अपने हक अधिकारों से हमेशा हमेशा के लिए महरुम होना पडेगा व मौके पर लडाई झगड़ा व विवाद बढेगा व मल्टीप्लीसिटी ऑफ प्रोसेर्डिंग्स बढेगी इसलिए वादी के पास अन्य कोई विकल्प शेष नही होने से यह वादपत्र बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा का विरुद्व प्रतिवादीगण के पेश है। प्रतिवादीगण संख्या 42 भूमिधारी लैण्ड होल्डर राज. सरकार होने से पक्षकार बनाये गये है। बिनाय वाद दिनांक 20.2.2018 को वादी द्वारा प्रतिवादीगण को उक्त आराजी को बंटवाड़ा करने पर प्रतिवादीगण द्वारा इन्कार होने एवं वादी को मौके से बेदखल करने की ऐलानिया धमकी देने पर बमुकाम लितरिया तहसील जैतारण जिला पाली में पैदा हुआ है जो श्रीमान के क्षैत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार में है।

वादी का दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1 से 41 बावजूद तामिली / सूचना के अनुपस्थित रहने से इनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। उपस्थित वकील वादी को सुना गया। वकील वादी ने जाहिर किया कि माफिक राजस्व रेकर्ड मेरे हिस्से की आराजी का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस तकासमा किये जाने की ईस्तदूआ की हैं।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वाद-पत्र मय शपथ-पत्र एवं दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया तथा बहस पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः वादी राजस्व रेकर्ड स्वयं अपने हिस्से के खातेदार काश्तकार दर्ज हैं। वादीगण अपनी आराजी का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस तकासमा

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

चाहता हैं। लिहाजा वादीगण के हिस्से की भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस् के बंटवाडा की प्राथमिक डिक्री जारी कर बंटवाडा करवाया जाना उचित समझते हुए माफिक राजस्व रिकॉर्ड प्राथमिक डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की सादिर की गई कि राजस्व मौजा- लितरिया पटवार हल्का काणेचा में वादी एवं प्रतिवादीगण की शामलाती कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 240 रकबा 6-12 किस्म चाही दोयम, खसरा नम्बर 240/313 रकबा 10-07 किस्म चाही दोयम, खसरा नम्बर 241/1 रकबा 0-08 किस्म चाही दौयम, खसरा नम्बर 241/314 रकबा 4 बीघा किस्म चाही दोयम, खसरा नम्बर 258/1 रकबा 0-13 किस्म चाही दोयम, खसरा नम्बर 259 रकबा 4-17 किस्म चाही दोयम, खसरा नम्बर 260 रकबा 2-09 किस्म चाही दोयम, खसरा नम्बर 221/5 रकबा 0-15 किस्म चाही दोयम, खसरा नम्बर 241 रकबा 5-07 किस्म चाही दोयम, खसरा नम्बर 242 रकबा 2-05 किस्म चाही दोयम, खसरा नम्बर 257 रकबा 1-11 किस्म चाही दोयम, खसरा नम्बर 258 रकबा 2-03 किस्म चाही दोयम , खसरा नम्बर 259/1 रकबा 3-11 किस्म चाही दोयम, खसरा नम्बर 260/1 रकबा 3-08 किस्म चाही दोयम, खसरा नम्बर 321/241 रकबा 10-06 किस्म चाही दोयम भूमि का जो राजस्व रेकर्ड में वादी एवं प्रतिवादीगण की सामलाती व कब्जे काश्त की हैं, बंटवाड़ा बाई मिट्स एण्ड बॉउण्डस करवाया जाकर खाता व लगान अलग-अलग दर्शाकर पत्थरगढ़ी /नेखमबन्दी करवाकर बंटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा बनाया जाने हेतु एवं बंटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा प्रस्तुत करने हेतु तहसीलदार, जैतारण को अधिकृत किया जाकर पत्रांक/कोर्ट/2018/340 दिनांक 26/03/2018 द्वारा आदेशित किया गया। तहसीलदार, जैतारण के पत्रांक/भू.अ./2018/1435 दिनांक 27/03/2018 द्वारा प्राथमिक डिक्री की पालना अर्थात् बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा सहित प्रस्तुत की, सा0मि0 की गई।

पत्रावली राजस्व लोक अदालत केम्प काणेचा पेश हुई। बहस वादी सुनी गई। बहस के दौरान वकील वादी ने माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट विभाजन प्रस्ताव वादी का वाद डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा किये जाने की ईश्तदुआ की हैं। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया, बहस वादी एवं पालना रिपोर्ट पर गौर किया। लिहाजा माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा वादी का वाद डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा किया जाना उचित समझते हैं।

-:: आदेश ::-

अतः माफिक बँटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अंतिम डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि राजस्व मौजा- लितरिया पटवार हल्का काणेचा में वादी एवं प्रतिवादीगण की शामलाती कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 240 रकबा 6-12 किस्म चाही दोयम, खसरा नम्बर 240/313 रकबा 10-07 किस्म चाही दोयम, खसरा नम्बर 241/1 रकबा 0-08 किस्म चाही दौयम, खसरा नम्बर 241/314 रकबा 4 बीघा किस्म चाही दोयम, खसरा नम्बर 258/1 रकबा 0-13 किस्म चाही दोयम, खसरा नम्बर 259 रकबा 4-17 किस्म चाही दोयम, खसरा नम्बर 260 रकबा 2-09 किस्म चाही दोयम, खसरा नम्बर 221/5 रकबा 0-15 किस्म चाही दोयम, खसरा नम्बर 241 रकबा 5-07 किस्म चाही दोयम, खसरा नम्बर 242 रकबा 2-05 किस्म चाही दोयम, खसरा नम्बर 257 रकबा 1-11 किस्म चाही दोयम, खसरा नम्बर 258 रकबा 2-03 किस्म चाही दोयम , खसरा नम्बर 259/1 रकबा 3-11 किस्म चाही दोयम,

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

खसरा नम्बर 260/1 रकबा 3-08 किस्म चाही दोयम, खसरा नम्बर 321/241 रकबा 10-06 किस्म चाही दोयम की भूमि का बँटवाड़ा अर्थात् विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता हैं :-

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकूनत	खसरा नम्बर	रकबा बीघा बिस्वा बिस्वांसी	किस्म	लगान
1	उमेश राणा पुत्र चौधरी सुल्तानसिंह राणा कौम-जाट सा0 बजघेड़ा, तह. व जिला-गुडगांव, सरूप पुत्र घासु, मांगीलाल रामलाल पि0 कानाराम, भोलाराम पुत्र हरीशचन्द कौम-साद सा0 देह खातेदार। रहन- रामलाल का हि0 एमजीबी शाखा-निम्बोल।	240 241/1 258/1 259 260	6-12-00 0-08-00 0-13-00 4-17-00 2-09-00	चा0दो0 चा0दो0 चा0दो0 चा0दो0 चा0दो0	23.10 रू. 1.40 रू. 2.28 रू. 16.98 रू. 8.57 रू.
	योग	**5**	**14-19-00**	**चा0दो0**	**52.33 रू.**
2	बाबूलाल पुत्र बक्साराम जाट सा0 लुणियास हि0 9/20, अनोपसिंह पुत्र जैतदान चारण हि0 9/20, मादाराम पुत्र बोदाराम जाट 2/20) नेना पुत्र मुल्तान, ओमप्रकाश गोविन्दराम लक्ष्मीनारायण नन्दकिशोर जगदीशप्रसाद पि0 शिवदान कौम-ब्राह्मण, सा0 खराड़ी (बाबूलाल पुत्र बक्साराम जाट सा0 सुणियास हि0 9/20, प्रहलादसिंह पुत्र सांवतसिंह चारण हि0 11/20) (रमेशचन्द्र पुत्र बदरीलाल, प्रहलादसिंह पुत्र सांवतसिंह कौम-चारण सा0 खराड़ी, केवलचन्द पुत्र प्यारा, रामप्रकाश पुत्र लिखमाराम जाट-लुणियास) कौम-साद सा0 देह खातेदार।	240/ 313 241/ 314	10-07-00 4-00-00	चा0दो0 चा0दो0	36.22 रू. 14.00 रू.
	योग	**2**	**14-07-00**	**चा0दो0**	**50.22 रू.**
3	उमेश राणा पुत्र चौधरी सुल्तानसिंह राणा कौम-जाट सा0 बजघेड़ा, तह. व जिला-गुडगांव, भोलाराम पुत्र हरीशचन्द्र, गुटकी पत्नि रमजीलाल, ढगलाराम पारसराम रेवतराम पि0 बोदाराम कौम-साद0 सा0 देह खातेदार। रहन-गुटकी पत्नि रमजीलाल का हि0 बीओबी शाखा-जैतारण, ढगलाराम पारसराम रेवतराम का हि0 ICICI बैंक शाखा-बिलाड़ा।	241 257 258 259/1 260/1	4-07-00 1-11-00 2-03-00 3-11-00 3-08-00	चा0दो0 चा0दो0 चा0दो0 चा0दो0 चा0दो0	15.22 रू. 5.42 रू. 7.53 रू. 12.43 रू. 11.90 रू.
	योग	**5**	**15-00-00**	**चा0दो0**	**52.50 रू.**
4	भंवरलाल जसाराम ढगलाराम हीरालाल दीपचन्द दीपचन्द बाबुलाल पि0 घासी कौम-साद सा0 देह, घनश्याम पुत्र तुलसीराम कौम-ब्राह्मण, बाबुसिंह पुत्र धनसिंह	241/2 221/5 242 321/ 241	1-00-00 0-15-00 2-05-00 10-06-00	चा0दो0 चा0दो0 चा0दो0 चा0दो0	3.50 रू. 2.62 रू. 7.87 रू. 36.05 रू.

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

	कौम–रावणा राजपूत सा0 खराड़ी, मोहन रखा बाला हापु हंसराज भीया रामपाल पुसा सोहन पि0 मिश्रु, हंजा पत्नि मिश्रु, नैना पुत्र मुल्तान, अमरसिंह गोद जोरा, चन्द्रा पुत्र घासू कौम–साद सा0 देह खातेदार। रहन–ढगलाराम पुत्र घासी का हि0 पीएनबी शाखा–जैतारण, भंवरलाल जसाराम का हि0 ICICI बैंक शाखा–जैतारण के रहन दर्ज।				
योग		**4**	**14-06-00**	**चा0दो0**	**50.04 रू.**

तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावें। वादी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता हैं। डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावें। तहसीलदार जैतारण को डिक्री पर्चा मय बंटवाड़ा रिपोर्ट की प्रति भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला–पाली (राज0)

निर्णय आज दिनांक 15/06/2018 को राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र–काणेचा सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी जैतारण
जिला–पाली (राज0)

Scanned by CamScanner